2017/00111

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
56/2016	16.11.2016	11/12/19

1. मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद, माली निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
2. मुकेश पुत्र मोतीलाल, माली निवासी खिरनी तह0 मलारनाडूंगर——वादीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र कालू, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
2. जगदीशपुत्र कालू, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
3. रामदयालपुत्र कामडया, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
4. हजारीपुत्र नन्दा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
5. मेवा पुत्र नन्दा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
6. गोपाल पुत्र हरदेवा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
7. औमचन्द पुत्र गंगाविशन, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
8. चन्दर पुत्र पैमा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
9. छोटया पुत्र पुत्र ऊंकार, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
10. तहसीलदार मलारनाडूंगर लैण्ड होल्डर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली

उपस्थित :—श्री बी0एल0 मीना, एडवोकेट, वादीगणकी ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से
श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ग्राम खिरनी के रहने वाले हैं। प्रतिवादीगण सभी रैगर जाति के लोग हैं जिन्होने बहुमत एवं लठ्ठ के बल पर वादी के खातेदारी खेतों पर कब्जा कर लिया है तथा अब वादी की खातेदारी खेत जिसमें बाजरे की फसल खडी है, में होकर रास्ता बनाने का एलान किया है। ग्राम खिरनी में मोती पुत्र रामप्रसाद के नाम ख0नं0 2680 रकबा 16 विस्वा, ख0नं0 2681 रकबा 13 विस्वा, ख0नं0 3634 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 3635 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा मौजूद है जिसे वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से ही लगातार काश्त कर लगान अदा करते आ रहे हैं। वादी सं0 2 के पिता वादी सं0 1 मजदूरी करने विदेश(दुबई) गए हुए हैं एवं जाते समय वे घर की सम्पूर्ण देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी वादी सं0 2 को देकर गए हैं। इस कारण वादी सं0 2 ही अपने परिवार में समझदार होने के कारण सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की देखभाल व सार

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

संभाल करता है। वादी के पिता को विदेश गए हुए 2 साल हुए हैं एवं उनकेजाने के बाद प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 ने वादीगण की आराजी ख0नं0 3634 में नाजायज तरीके से एवं दादागिरी से कब्जा करके बाडे व मकानों का निर्माण कर लिया । प्रतिवादी सं0 6 ने वादीगण की आराजी ख0नं0 3634 में मकान तथा प्रतिवादी सं0 3 ने ख0नं0 3635 में वादी के अकेलेपन का फायदा उठाकर पाटोर जबरन डाल दी है। शेष प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी ख0नं0 3634 में नाजायज बलीता एवं रेवडा आदि डालकर कब्जा कर रखा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी मां के साथ खिरनी में अकेला ही रहता है। वादी का एक भाई मजदूरी के लिए बाहर रहता है एवं वादी की मां बिना पढी लिखी ग्रामीण महिला है जो कानूनी प्रक्रिया में नहीं समझती है इसी बात का फायदा उठाते हुए आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी को परेशान करते रहते हैं। इसी उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज कर नाजायज तरीके से स्वयं की खातेदारी ख0नं0 3648 का दिनांक 27.7.06 को सीमाज्ञान करवाया । सीमाज्ञान करते समय पटवारी हलका ने वादीगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं देते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष के लोों को ही साथ लिया और वादीगण के खेत ख0नं0 3635 में सरसब्ज खडी बाजरे की फसल में जरीब चलाकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाया और एकतरफा रिपोर्ट बनाते हुए डेढ गठ्ठा चौडी एवं 49 गठ्ठे लम्बी भूमि वादीगण के खेत में ख0नं0 3648 की दर्शा दी जो बिल्कुल अवैध है बल्कि पूर्व से ही वादी की आराजी ख0नं0 3634 व 3635 की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर रखा है किन्तु वादी के पिता करीब 10–12 साल से विदेश में रहते हैं कभी कभार छुट्टी लेकर मिलने आते हैं तथा वादी की उम्र कम होने के कारण अब तक वादी सं0 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका है। दि0 12.8.06 को वादी सं0 2 अपने घर बैठा हुआ था कि प्रतिवादी सं0 1 ता 9 हाथो में लाठी, डंडे, फावडे वगैरा लेकर वादीगण के खेत ख0नं0 3635 में आ गए तथा आते ही वादीगण की दक्षिणी दिशा की दीवार को फावडों से फैलाने लगे। वादी सं0 2 को पता चला तो वादी सं0 2 व उसकी मां मौके पर पहुंचे तो सभी प्रतिवादीगण कहने लगे कि तुम्हारे खेत ख0नं0 3635 में होकर हम सीधा रास्ता सडक पर निकालेंगे। वादी, वादी की मां व गांव के अन्य लोगों ने बडी मुश्किल से प्रतिवादीगण को रोका तो वे एलानिया कहने लगे कि हमने तुम्हारे खेत ख0नं0 3634 में कब्जा तो कर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला ...
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

लिया है अब ख0नं0 3635 पर भी कब्जा करके रहेंगे। ख0नं0 3634 व 3635 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण को इसमें कब्जा बनाए रखने तथा खातेदारी में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता निकालने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र डिक्री फरमाते हुए बेदखली आदेश इस प्रकार का फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खेत ख0नं0 3634 व 3635 में जबरन ई–एफ एवं जे स्थान पर पाटोर, घर व मकान बना लिए हैं जिन्हें स्वयं प्रतिवादीगण के खर्चे से तुडवाया जाकर खेत खाली कर वादीगण को सुपुर्द किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ता 9 वादीगण के खेत ख0नं0 3634 व 3635 में होकर किसी प्रकार का कोई नवीन रास्ता नहीं निकालें। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.7.06 निरस्त फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी सं0 9 एवं 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि मोतीलाल द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 को ख0नं0 3634 में प्रत्येक को अलग अलग प्लाट बेचे हैं। विक्रय पत्र अलग अलग स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाए गए हैं। वादी के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण अब प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। वादी के खातेदारी में होकर कोई रास्ता प्रतिवादीगण नहीं निकाल रहे हैं। यह रास्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी आराजी ख0नं0 3648 में होकर निकल रहा है। वादीगण का उक्त रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मौके पर रास्ता 12 फुट चौडा निकल रहा था लेकिन उक्त रास्ते की भूमि पर वादी सं0 2 द्वारा तीनों ओर तार खींच कर अपनी खातेदारी आराजी ख0नं0 3635 में मिला लिया है तथा उक्त रास्ते को खुलासा करवाने बाबत् प्रतिवादीगण ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश बौली के यहां वाद कर रखा है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखा गया था। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में रास्ते की भूमि पर प्रतिवादी नं0 2 द्वारा तार खींचकर बन्द कर दिया गया है। इसकी आड में हम प्रतिवादीगण को वादी नाजायज परेशान कर रहे हैं। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर कोई जबरन कब्जा नहीं किया है। ख0नं0 3634 व 3635 पर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने जरिए स्टाम्प अलग अलग प्लाट खरीदे थे जिनमें सभी अलग अलग मकान बना कर रह रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 नानगराम व जगदीश का ख0नं0 3648 में अपनी खातेदारी भूमि में मकान व कुआ बना हुआ है। प्रतिवादी सं0 3 रामदयाल ने उत्तर दक्षिण 32 गज पूर्व से पश्चिम 16 गज, प्रतिवादी सं0 4 व 5 हजारी व मेवा ने 16 गज उत्तर दक्षिण व 16 गज पूर्व पश्चिम तथा प्रतिवादी सं0 6 ने 13 विस्वा भमि ख0नं0 3634 वादी सं0 1 से खरीद की है जिसमें पुख्ता कुआ व मकान बने हुए हैं। प्रतिवादी सं0 7 ने 20 गज लम्बा पूर्व से पश्चिम तथा 10 गज चौडा उत्तर से दक्षिण का प्लाट वादी सं0 1 से जरिए स्टाम्प खरीद किया है। प्रतिवादी सं0 8 चन्दर ने 5 विस्वा भूमि वादी नं0 1 से खरीदी है। वादी सं0 2 के पिताजी द्वारा उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण को लगभग 30 वर्ष पूर्व बेचान कर दिया था तथा उसी समय से प्रतिवादीगण के मकानात व कुए बने हुए हैं। दि0 27.7.06 को पटवारी हलका खिरनी ने तहसीलदार मलारनाडूंगर के आदेशानुसार ख0नं0 3635 व 3648 का सीमाज्ञान करवाया था। सीमाज्ञान कराते समय वादी सं0 2 व अन्य परिवार वालों को सूचना दी थी। इसके बाद भी ये मौके पर उपस्थित नहीं हुए। गांव के अन्य मौतविरान व्यक्तियों के सामने मौका देखा गया था। इस मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा अपने खातेदारी आराजी ख0नं0 3648 में से छोडी हुई रास्ते की भूमि पर वादी सं0 2 ने जबर्दस्ती तार खींच दिए तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी आराजी पर डेढ गठ्ठा चौडी व 49 गठ्ठा लम्बाई में वादीगण ने लठ्ठ के बल पर कब्जा कर लिया है। वादपत्र में वादी ने सारे तथ्य बनावटी लिखे हैं। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि श्रीमानजी के आदेशानुसार मौका कमिश्नर ने दिनांक 20.9.06 को विवादित स्थल का मौका देखा था जिसमें ख0नं0 3634 व 3635 में आबादी बनी हुई है। प्रतिवादीगण ने वादी की कोई भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। राजी खुशी से लगभग 30–40 वर्ष पहले वादी ने गांव के कई व्यक्तियों को उक्त आराजी प्लाटों के रूप में विक्रय की थी तथा वादी ने कई मकानधारियों को जो ख0नं0 3634 व 3635 में बसे हुए हैं उनको पक्षकार नहीं बनाया है। मात्र हम प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए यह मुकदमा किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दि0 20.9.06 का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि ख0नं0 3634 व 3635 के दक्षिण दिशा की तरफ मार्क ए से बी प्रतिवादीगण के मकानों तक आवागमन का आम रास्ता कदीम से निकला हुआ है जो प्रतिवादी सं0 1 व 2

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

की खातेदारी भूमि में होकर निकल रहा है। उक्त रास्ते में वादी का कोई लेना देना नहीं है। रास्ता लगभग 100 वर्षो पूर्व से निकला हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने आराजी ख0नं0 3648 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा खरीदी थी उस समय भी रास्ता मौके पर पहले से ही निकला हुआ था। रास्ते के मामले में इस न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। सिविल कोर्ट को रास्ते का दावा सुनने का अधिकार है एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बौली में प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते के संदर्भ में वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है । अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि ख0नं0 2680 रकबा 16 विस्वा, ख0नं0 2681 रकबा 13 विस्वा, ख0नं0 3634 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 3635 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा ग्राम खिरनी वादी के पिता मोती पुत्र रामप्रसाद की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। ––वादीगण

2. आया प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 ने वादीगण की भूमि ख0नं0 3634 में जबरन कब्जा कर बाडे तथा मकानों का निर्माण कर लिया, प्रतिवादी नं0 6 ने ख0नं0 3634 में मकान का निर्माण कर लिया, प्रतिवादी नं0 3 ने ख0नं0 3635 में जबरन पाटोर डाल दी तथा शेष प्रतिवादीगण ने ख0नं0 3634 में बलीता एवं रेवडा आदि डालकर जबरन कब्जा कर रखा है। ––वादीगण

3. आया दि0 27.7.06 को प्रतिवादी सं0 1, 2 ने उनकी भूमि ख0नं0 3648 का सीमाज्ञान कराया जिसमें पटवारी हलका ने प्रतिवादीगण से मिलकर वादीगण की भूमि ख0नं0 3635 में डेढ गठ्ठा चौडी एवं 49 गठ्ठा लम्बी भूमि ख0नं0 3648 की होना दर्शाया जो अवैद्य है क्योंकि यह सीमाज्ञान वादीगण की अनुपस्थिति में किया गया। ––वादीगण

4. आया दिनांक 12.8.06 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 ने वादीगण की भूमि ख0नं0 3635 की दक्षिणी दिशा की डौल फावडों से फेला दी एवं धमकी दी कि वे ख0नं0 3635 में होकर सीधा रास्ता सडक पर निकालेंगे तथा इस खसरा नम्बर पर भी कब्जा करने की धमकी दी। ––वादीगण

5. आया वादीगण ख0नं0 3634 व 3635 में प्रतिवादीगण द्वारा बनाए गए पाटोर, घर, मकान बाडे आदि को तुडवा कर इनसे प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्राप्त करने, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

कराने एवं ख0नं0 3634 व 3635 में होकर किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकालने हेतु पाबंद कराने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

6. आया वादी मोतीलाल ने ख0नं0 3634 में प्रतिवादीगण को अलग अलग प्लाट बेच कर स्टाम्प पर इसकी लिखापढी की है तथा प्रतिवादीगण इस खरीदी हुई भूमि पर काबिज हैं व ख0नं0 3634, 3635 मे आबादी बनी हुई है। अब वादीगण प्रतिवादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।
——प्रतिवादीगण

7. आया ख0नं0 3634 व 3635 के दक्षिण दिशा की तरफ मार्क ए से बी प्रतिवादीगण के मकानों तक आवागमन का रास्ता कदीमी निकला हुआ है तथा प्रतिवादी नं0 2 ने इस रास्ते को तार खींचकर बन्द कर दिया है। इसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में भी मामला चल रहा है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।——प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2058 से 2061 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 प्रदर्श–3 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी मोतीलाल पी0डब्लू0 1, बयान गवाह रामधन पुत्र मेवाराम माली पी0डब्लू0 2, बयान गवाह मदन पुत्र कल्याण माली पी0डब्लू0 3, बयान गवाह रामचरण पुत्र कजोड माली पी0डब्लू0 4 कराए हैं।

जबाब वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल मौका रिपोर्ट पटवारी हलका खिरनी बी दिनांक 27.7.2006 प्रदर्श पी–1, नोटिस मौका कमिश्नर दिनांक 25.8.06 प्रदर्श पी–2, नकल नक्शा मौका दिनांक 25.8.06 प्रदर्श पी–3, नकल मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 25.8.2006 प्रदर्श पी–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–5, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2062 से 2065 प्रदर्श पी–6, नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 प्रदर्श पी–7 पेश किए हैं एवं बयान प्रतिवादी रामदयाल डी0डब्लू0 1, बयान प्रतिवादी कैलाशचन्द डी0डब्लू0 2, बयान गवाह कन्हैयालाल पुत्र छोटूलाल रैगर डी0डब्लू0 3, बयान गवाह सीताराम डी0डब्लू0 4 कराए हैं।

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 3634 व 3635 वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण ने जबरन पाटोर, मकान बना

Scanned by CamScanner

लिए हैं। वादीगण प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कराने व उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादी मोतीलाल ने प्रतिवादीगण को करीब 30 वर्ष पहले अलग अलग विक्रय कर इसकी लिखापढी अलग अलग स्टाम्पों पर कर दी थी जिनकी छायाप्रतियां प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इस विक्रय के बाद से ही प्रतिवादीगण अपनी इस खरीदशुदा भूमि में मकान बनाकर रह रहे हैं। वादीगण का अब इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकी अनुसार विवेचना एवं निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1 :–आया भूमि ख0नं0 2680 रकबा 16 विस्वा, ख0नं0 2681 रकबा 13 विस्वा, ख0नं0 3634 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 3635 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा ग्राम खिरनी वादी के पिता मोती पुत्र रामप्रसाद की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इसे प्रमाणित करने के लिए वादीगण ने नकल खसरा गिरदावरी सं0 2058 से 2061 प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त तनकी में वर्णित भूमि वादी मोती पि0मु0 रामप्रसाद माली की खातेदारी की भूमि है । अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:–आया प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 ने वादीगण की भूमि ख0नं0 3634 में जबरन कब्जा कर बाडे तथा मकानों का निर्माण कर लिया, प्रतिवादी नं0 6 ने ख0नं0 3634 में मकान का निर्माण कर लिया, प्रतिवादी नं0 3 ने ख0नं0 3635 में जबरन पाटोर डाल दी तथा शेष प्रतिवादीगण ने ख0नं0 3634 में बलीता एवं रेवडा आदि डालकर जबरन कब्जा कर रखा है।

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलक्टर
मलारना डूंगर

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। भूमि ख0नं0 3634 व 3635 में प्रतिवादीगण के बाडे बने हुए हैं एवं मकान बने हुए हैं यह तथ्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण ने प्रमाणित नहीं किया है परन्तु दोनों पक्षों की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई हैं उनमें इन नम्बरों पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का कब्जा होना, प्रतिवादीगण के मकान बने होना आदि बातें प्रमाणित होती है। प्रतिवादीगण का यह कथन है कि वादी मोतीलाल ने इन नम्बरो में भूमि प्लाट के रूप में प्रतिवादीगण को करीब 30 वर्ष पूर्व विक्रय कर दी है एवं वे इसमें मकान आदि बना कर रह रहे हैं। प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में कुछ अनरजिस्टर्ड बेचाननामों की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की है। इनके आधार पर यह माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन काबिज नहीं हुए हैं बल्कि एक दस्तावेज के आधार पर काबिज हुए हैं। हालांकि यह दस्तावेज अनरजिस्टर्ड है परन्तु प्रतिवादीगण इसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण जबदन विवादित भूमि पर काबिज हों। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:—आया दि0 27.7.06 को प्रतिवादी सं0 1, 2 ने उनकी भूमि ख0नं0 3648 का सीमाज्ञान कराया जिसमें पटवारी हलका ने प्रतिवादीगण से मिलकर वादीगण की भूमि ख0नं0 3635 में डेढ गठ्ठा चौडी एवं 49 गठ्ठा लम्बी भूमि ख0नं0 3648 की होना दर्शाया जो अवैद्य है क्योंकि यह सीमाज्ञान वादीगण की अनुपस्थिति में किया गया।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27.7.2006 के अवलोकन से विदित है कि इस फर्द मौका पर वादीगण के हस्ताक्षर नहीं है। इस फर्द मौका से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पटवारी हलका ने मौके पर उपस्थित होने के लिए किन किन व्यक्तियों को सूचना दी है। फर्द मौका के अवलोकन से इसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि इस तैयार करने के लिए सम्बन्धित पटवारी हलका ने विस्तृत रूप से खेतों की नाप मुस्तकिल पाइन्ट तय कर की है। अतः हमारी राय में इस मौका रिपोर्ट पर वादी की आपत्ती को सही मानते हुए इस मौका रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी यह रिपोर्ट ख0नं0 3648 के सम्बन्ध में है । अतः यह तनकी उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :—आया दिनांक 12.8.06 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 ने वादीगण की भूमि ख0नं0 3635 की दक्षिणी दिशा की डौल फावडों से फेला दी एवं धमकी दी कि वे ख0नं0 3635 में होकर सीधा रास्ता सडक पर निकालेंगे तथा इस खसरा नम्बर पर भी कब्जा करने की धमकी दी।

(मनोज कुमार ...
उप जिला कलक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

तनकी नं0 1, 2 में किए गए निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की है, प्रतिवादीगण का इन नम्बरो में कब्जा पाया गया है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध नकल निर्णय दिनांक 5.11.2009 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बौली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ख0नं0 3648 में रास्ते को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद चला है एवं इस निर्णय के अनुसार ख0नं0 3648 के उत्तर की ओर 12 फीट चौडा रास्ता घोषित करते हुए मोतीलाल के पुत्र धर्मराज, मुकेश, मोतीलाल की पत्नी शान्ती को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। यह रास्ता ख0नं0 3635 की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 27.7.2006 प्रदर्श–1 के अनुसार ख0नं0 3648 की भूमि ख0नं0 3635 के खातेदार द्वारा बाड लगाकर दबा रखी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य रास्ते को लेकर विवाद रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी दिए जाने एवं प्रतिवादीगण द्वारा ख0नं0 3635 की दक्षिणी डौल फावडो से फैलाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहों ने भी इस तथ्य को अपने बयानो में नहीं बताया है। इसलिए यह तनकी प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 5</u> :–आया वादीगण ख0नं0 3634 व 3635 में प्रतिवादीगण द्वारा बनाए गए पाटोर, घर, मकान बाडे आदि को तुडवा कर इनसे प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्राप्त करने, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने एवं ख0नं0 3634 व 3635 में होकर किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकालने हेतु पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं0 1, 2, 4 में किए गए निर्णय अनुसार भूमि ख0नं0 3634 व 3635 वादीगण की खातेदारी की भूमि है, प्रतिवादीगण का इन नम्बरों की भूमि में कब्जा होना प्रमाणित है। चूंकि यह कब्जा बिना किसी आधार के नहीं है इसलिए वादीगण इन नम्बरों में स्थित प्रतिवादीगण के मकान, बाडे आदि तुडवाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल करवाने, भूमि का कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

(मनोज कुमार ...)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

<u>तनकी नं0 6</u> :–आया वादी मोतीलाल ने ख0नं0 3634 में प्रतिवादीगण को अलग अलग प्लाट बेच कर स्टाम्प पर इसकी लिखापढी की है तथा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण इस खरीदी हुई भूमि पर काबिज हैं व ख0नं0 3634, 3635 मे आबादी बनी हुई है। अब वादीगण प्रतिवादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने ख0नं0 3634 में प्रतिवादीगण को स्टाम्प पर भूमि बेचान के सम्बन्ध में स्टाम्प पेपरों की छायाप्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की है। इनके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इसलिए वादीगण को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने का तथ्य सही नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7:—आया ख0नं0 3634 व 3635 के दक्षिण दिशा की तरफ मार्क ए से बी प्रतिवादीगण के मकानों तक आवागमन का रास्ता कदीमी निकला हुआ है तथा प्रतिवादी नं0 2 ने इस रास्ते को तार खींचकर बन्द कर दिया है। इसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में भी मामला चल रहा है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने स्वयं ने यह कहा है कि मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। रास्ते सम्बन्धी मामले में क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होने के कारण इस न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में टिप्पणीं नहीं की जा सकती है परन्तु वादीगण का वादपत्र उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 3634, 3635 का होने के कारण इस न्यायालय में चलने योग्य है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 8:—अनुतोष।

तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार मोतीलाल द्वारा स्टाम्प पर किए गए विक्रय अनुसार काबिज हैं। वादीगण का दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः तनकीवाइज की गई विवेचना एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार वर्मा) 11/12/19
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम मलारनाडूंगर

इजलास मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद, माली निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
2. मुकेश पुत्र मोतीलाल, माली निवासी खिरनी तह0 मलारनाडूंगर––वादीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र कालू, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
2. जगदीशपुत्र कालू, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
3. रामदयालपुत्र कामडया, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
4. हजारीपुत्र नन्दा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
5. मेवा पुत्र नन्दा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
6. गोपाल पुत्र हरदेवा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
7. औमचन्द पुत्र गंगाविशन, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
8. चन्दर पुत्र पैमा, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
9. छोटया पुत्र पुत्र ऊंकार, रैगर निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
10. तहसीलदार मलारनाडूंगर लैण्ड होल्डर ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली

मुकदमा नं. –56/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बी0 एल0 मीना, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, श्री संजय शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तनकीवाइज की गई विवेचना एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/19 को जारी किया गया ।

(मनोज कुमार वर्मा) 11/12/19

उप जिला कलेक्टर

मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner